CNR NNO-UPVR010051572026

न्यायालय जिला जज वाराणसी।

प्रकीर्ण वाद (टी०ए०) संख्या 325/2026

संजय कुमार श्रीवास्तव बनाम मुन्ना राय

दिनांक 08.07.2026

1– पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को अंतरण प्रार्थनापत्र पर सुना जा चुका है।

2– आवेदक की ओर से अन्तरण प्रार्थनापत्र 4 ग मय शपथपत्र 5 ग प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से कथन किया गया है कि पी० ए० वाद संख्या–15/2019 मुन्ना राय बनाम संजय कुमार श्रीवास्तव की पत्रावली न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, वाराणसी के यहां विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 16.05.2026 की तिथि वास्ते बहस नियत थीं। उक्त तिथि पर प्रार्थी/प्रतिवादी ने मोहलत की दरखास्त अपने व्यक्तिगत तबियत खराब होने के कारण न्यायालय में तारीख स्थगित कर कोई अन्य तिथि नियत करने हेतु दिया, जिसपर अग्रिम तिथि 26.05.2026 न्यायालय द्वारा आदेश के लिये नियत कर दी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवर न्यायालय ने कोई अवसर प्रदान नहीं किया और अवर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मुकदमा में आदेश हेतु दिनांक 26.05.2026 नियत कर लिया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी को पूर्ण विश्वास हो गया हैं कि अवर न्यायालय द्वारा न्याय मिलने की कोई आशा नहीं हैं। याचना की गयी है कि पी०ए० वाद संख्या 15/2019 मुन्ना राय बनाम संजय कुमार श्रीवास्तव किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय अन्तरित कर दिया जाए।

3– विपक्षी की ओर से अन्तरण प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 13 ग प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया गया है कि उक्त मुकदमे में दोनो पक्षो की बहस सुनकर न्यायालय ने पत्रावली वास्ते आदेश सुरक्षित कर ली थी। जज खफीफा वाराणसी की न्यायालय इस पत्रावली में बहैसियत प्रेस्काइब्ड अथार्टी कार्य कर रही है और वाराणसी में बतौर प्रेस्काइब्ड अथार्टी और कोई न्यायालय नही है। अंतरण प्रार्थनापत्र केवल मूल मुकदमा पी०ए० नम्बर 15/2019 मुन्ना राय बनाम संजय को विलम्बित कारित करने हेतु दाखिल किया गया है। अतः अन्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4– प्रार्थी द्वारा उक्त आपत्ति 13 ग के विरूद्ध प्रतिआपत्ति 14 ग दाखिल की गयी है।

5– संबंधित न्यायालय से प्राप्त आख्या कागज संख्या 9 ग में कथन किया गया है कि पी०ए० वाद सं० 15/2019 मुन्ना राय बनाम संजय कुमार श्रीवास्तव की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है। उक्त वाद में प्रार्थी संजय कुमार प्रतिवादी पक्ष/किराएदार है। दिनांक 16.05.2026 को पत्रावली बहस हेतु नियत थी। नियत तिथि को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा स्वास्थ खराब होने का कारण बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम अवसर के साथ स्वीकृत करते हुए अग्रिम तिथि दिनांक 26. 05.2026 वास्ते बहस हेतु नियत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बिना पत्रावली का परिशीलन किये झूठे कथनों पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दिया गया है।

6– पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.07.09 17:01:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7– प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा केवल पुर्वाग्रह व शंका के आधार पर यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र योजित किया गया है। मात्र आशंका के आधार पर वाद को अन्तरित नहीं किया जा सकता। अन्तरण प्रार्थना–पत्र में लिया गया आधार पर्याप्त नहीं है, तद्नुसार अन्तरण प्रार्थनापत्र 4 ग निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतरण प्रार्थना–पत्र 4 ग निरस्त किया जाता है। तदनुसार सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अवगत करा दिया जाय।

(संजीव शुक्ला)
जनपद न्यायाधीश
वाराणसी
जे० ओ० कोड यू०पी० 1900

steno– km kshma